Anusanadhan: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Volume 7, Issue 3&4 - 2022, Pg. No. 1-5
Peer Reviewed Journal

Research Article

वृद्धा पेंशन प्राप्त वृद्धों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (पिथौरा विकास खण्ड के विशेष संदर्भ में)

प्रमिला नागवंशी

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीयदू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202202

I N F O

E-mail Id:
prami21777@gmail.com
Orcid Id:
http://orcid.org/0009-0001-2078-678X

Date of Submission: 2022-07-28
Date of Acceptance: 2022-09-07

सारांश

भारतीय सामाजिक संरचना विष्व के सभी समाजों में सबसे अलग संरचना हैं। जिसमें समाज के सभी वर्गो के लिए चाहे वे बच्चे हो, या युवा हो, प्रौढ़ हो, या फिर वद्धों की बात हो, सभी के लिए संरक्षण की दृश्टि से अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। जिनका प्रमुख उददेष्य सभी वर्गो को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कर आत्मसम्मान से जीवन जीने हेतु प्रेरित करना। समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग विषेश कर वृद्ध वर्ग जिन्हे वृद्धा वस्था में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाजकल्याण विभाग, षासन एवं समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कि वह वृद्धों का घ्यान रखते हुए शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक आवष्यकताओं की पूर्ति कर उनके जीवन में नयी उर्जा का संचार करे। आर्थिक सहयोग के रूप मे प्रदान की जाने वाली वृद्धा पेंशन राषि का कितना महत्व है एवं यह पेंशन क्या उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करनें में सक्षम है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको के लिए इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राषि प्रदान की जाती है जो कि केन्द्र सरकार एवं राज्य दोंनो मिलकर वह न करत`है। मानव संसाघन विकास मंत्रालय का प्रमुख उददेष्य प्रत्येक नागरिक जो वृद्ध के अंतर्गत आते है। उन्हे आर्थिक सहयोग हेतु अलग–अलग प्रकार की पेंषन राषि प्रदान की जाती है। पेंशन राशि से वृद्धों के जीवन में क्या परिवर्तन आया क्या राशि पर्याप्त है और आसानी सें प्राप्त होती है। इसी प्रयोजन को घयान में रख कर यह शोघ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य बिन्दु: समाज, वृद्धावस्था, वृद्धा पेंशन योजना, शासन, आर्थिक सहायता।

प्रस्तावना

मानव जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक कई चरणों से होकर गुजरता है। इन चरणों में शैषवअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं अंतिम अवस्था वृद्धावस्था के रूप में होती है। इस तरह सभी अवस्थाएँ विकास, निर्माण एवंसंग्रहण की है जिसमें प्रत्येक अवस्था का अपना विषेश महत्व है। विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति अलग–अलग प्रकार की जीवन शैली के साथ जीवन यापन कर अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं। वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते जहाँ उसके सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने के पश्चात विकास की प्रक्रिया फिर मंद पड़ने लगती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर अर्थात् षिथिल होजा ते हैं।

समाज में ऐ से ही आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वृद्धा पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य है । जिससे सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर दो बाराफिर से आत्मनिर्भर एवं आत्मसम्मान के साथ जीवन यापनकरने का अवसर मिल सके। राज्य के ऐसे वृद्ध लोग जिनका कोई सहारा नहीं होता या जिनके पारिवारिक सदस्य किसी कारण वष अकेले छोड़ देते हैं। उनके लिये छत्तीसगढ़ में वधा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना समाजकल्याण

Copyright (c) 2022: Author(s). Advanced Research Publications

विभाग द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा संचालित किये जा रह हैं। इस योजना कोइं दिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजनाके नाम से भी जाना जाता है सिमा जमें विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के लिये अलग–अलग प्रकार की शासन द्वारा सुविधाएँ उपलब्ध है। ताकि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति समाज में बेहतर जीवन जी सके, चूंकि वृद्धों की सबसे अधिक जिम्मेदारी समाज के साथ ही राज्य एवं देश की है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदानकरें।

वृद्धावस्था में वृद्धों की अनेक समस्याएँ होती है। शारीरिक, मानसिक, अकेलेपन, पारिवारिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार की परंतु सभी समस्याओं में प्रमुख समस्या अर्थ की समस्या होती है क्यों कि अर्थ की कमी से आत्म सम्मान व आत्म निर्भरता में कमी आती है। इसी आत्म सम्मान व आत्म निर्भरता को बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ। वृद्धों के लिये संचालित कियै जा रहे हे। जिसमें से एक योजना वृद्धा पेंशन योजना भी है। क्या यह योजना वृद्धों के लिए पूरी तरह लाभ दायक है? पेंशन से उनके जीवन की आर्थिक समस्याएँ कम हुई है ? क्या यह पेंशन आसानी से वृद्धों को मिल पाती है और प्राप्त राशि उनके लिये पर्याप्त है ? इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह शोध पत्र में वृद्धों पर आधारित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धों की स्थिति को ज्ञात करना शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

अध्ययन पद्धति

शोध अध्ययन में अध्ययन पद्धति का तीन भागों में विभ क्त कर प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन हेतु पिथौरा विकास खण्ड के वृद्धा पेंशन प्राप्त वृद्धों को लिया गया है। पिथौरा छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुन्दजिले का एक प्रमुख विकास खण्ड है जिसका कुल भौगालिक क्षेत्र फल 10600 वेग्र. कि.मी. है एवंकुलवन क्षेत्र 19149 वेग्र. कि.मी. तक विस्तृतहै। पिथौरा विकास खण्ड की कुलजनसंख्या 17640 है। जिसमें 238 ग्राम सम्मिलित होने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में शिक्षा दर 73.23 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा दर 60.5 प्रतिशत है। पिथौरा राष्ट्रीय राजमार्ग 53 रायपुर से सरायपाली मार्ग में स्थित है।

उत्तर दाताओं का चयन

शोध अध्ययन हेतु उत्तर दाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधारपर 250 ऐसे ग्रामीण वृद्धों का चयन किया गया है जिन्हें वृद्धा पेंषन की प्राप्तिहोतीहै। अध्ययन हेतुउत्तरदाताओंमेंपुरूष एवं महिला दोनो प्रकार के वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वाले उत्तर दाताएं सम्मिलित है। दोनो प्रकार के उत्तर दाताओं के सम्मिलित होने से अध्ययन हेतु गहन एवं सूक्ष्म जानकारियाँ प्राप्त होसकी है।

तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त उपकरण एवंप्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्यों का संकलन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा किया गया है।

प्राप्ततथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवंविश्लेषण

अध्ययन में प्राप्त तथ्यों का संकलन कर वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण के पश्चात् सारणीयन कर विष्लेषण के माध्यम से निश्कर्श निकाला गया है।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत शोध पत्र में वृद्धा पेंशन प्राप्त करनेवाले वृद्धों का अध्ययन हेतुविवरणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है।

समस्या का प्रस्तुती करण

तालिका 1.उत्तर दाताओं की लिंग संबंधी जानकारी

क्रमांक	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पुरूष	125	50
2.	महिला	125	50
	योग	250	100

उपरोक्त तालिका 1, से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु कुल 250 वृद्ध उत्तरदाताओं का चयनकियागयाहैजिसमें 50 प्रतिशत पुरूष वृद्ध उत्तरदाता एवं 50 प्रतिशत महिला वृद्ध उत्तरदाता सम्मिलित है। दोनों प्रकार के उत्तरदाताएँ सम्मिलित होने से उनकी समस्याओं की जानकारियाँ प्राप्त हो सकी है।

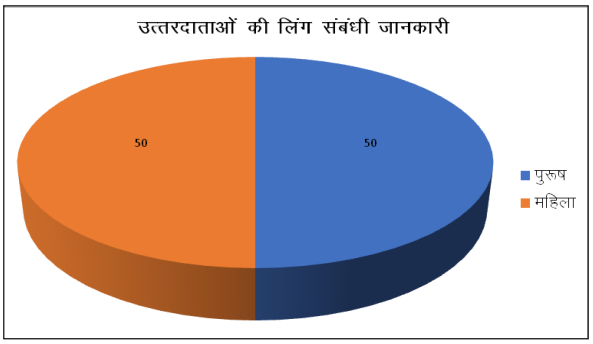

चित्र 1

तालिका 2.उत्तरदाताओं की आयुसंबंधीविवरण

क्रमांक	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	60–70	133	53.2
2.	70–80	96	38.4
3.	80–90	17	6.8
4.	90 से अधिक	04	1.6
	योग	250	100

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 02 से ज्ञात होता है कि कुल वृद्ध उत्तर दाताओं में सबसे अधिक 53.2 प्रतिश्त उत्तर दाताएँ 60 से 70 आयु वर्ग के हैं, 38.4 प्रतिशत उत्तरदाताएं 70–80 आयुवर्ग के, 6.8 प्रतिषतउत्तरदाताएं 80–90 आयुवर्ग के तथा सबसे कम 1.6 प्रतिशत

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202202

उत्तर दाताएं 90 से अधिक आयुवर्ग के हैं। इस प्रकार अध्ययन में अलग–अलग आयुवर्ग के वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वाले उत्तर दाताओं को सम्मिलित किया गया है।

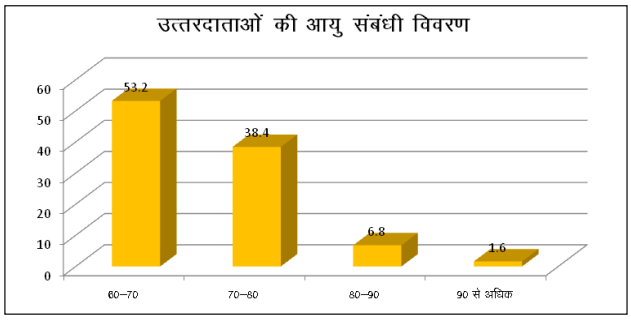

fp= 2

तालिका 3.उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति संबंधी जानकारी

क्रमांक	वैवाहिकस्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विवाहित	135	54.0
2.	अविवाहित	07	2.8
3.	विधवा	68	27.2
4.	विधुर	21	8.4
5.	परित्यक्ता/तलाकशुदा	19	7.6
	योग	250	100

उपरोक्त तालिका 3, से स्पष्ट होता है। कि कुल उत्तरदाताओं में 54 प्रतिशत उत्तरदाताएँ विवाहित हैं, जबकि 27.2 प्रतिशत उत्तरदाताएं विधवा, 8.4 प्रतिशत उत्तरदाताएं विधुर, 7.6 प्रतिशत उत्तरदाताएं परित्यक्ता/तलाकशुदा है। इस तरह अध्ययन में विभिन्न वैवाहिक स्थिति से संबंधित उत्तरदाताएं सम्मिलित है।

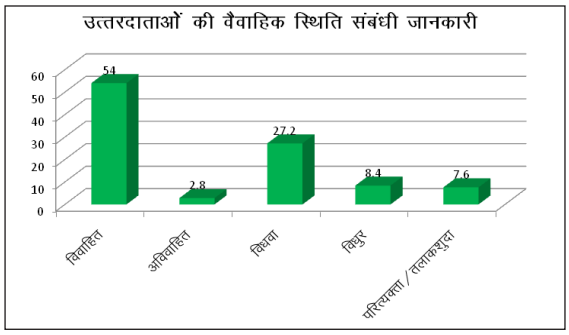

चित्र 3

तालिका 4.उत्तरदाताओं को प्राप्त वृद्धा पेंशन की राशि का विवरण

क्रमांक	राशि	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	350 रू.	229	91.6
2.	650 रू.	21	8.4
	योग	250	100

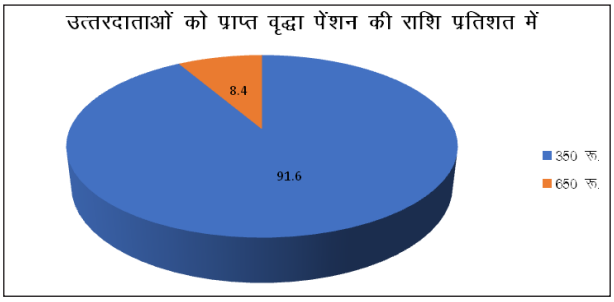

fp= 4

प्रस्तुत तालिका 4, से यह पाप्त होता है कि कुल उत्तरदाताओं में 91.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं की वृद्धा पेंशन की राशि 350 रू. है जबकि 8.4 प्रतिशत अर्थात 21 उत्तरदाताओं को वृद्धा पेंशन के रूप में 650 रूपये प्राप्त होते हैं। यह राशि आयु के आधारपर निध ार्रित की गई है जिसमें 60 वर्ष से 79 आयु वर्ष तक के वृद्धों को 350 रूपये एवं 80 आयु से अधिक वालों के लिये 650 रू. शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं। इस में केन्द्र सरकार एवं राज्य दोनों मिलकर राषिप्रदान करते हैं। 350 रूपये की राशि में केन्द्र सरकार 200 रूपये और छत्तीसगढ़ सरकार 100 रूपये एवं 650 रूपये पेंशन में 500 रूपये केन्द्र सरकार एवं 150 रूपये राज्य सरकार सम्मिलित रूप से प्रदान करती है। इसी तरह से केन्द्र एवं राज्य दोनों मिलकर वृद्धों को आर्थिक सुरक्षा के साथ आत्म निर्भर बनने में अपने वृद्धों को संरक्षण प्रदान करते हैं।

तालिका 5.उत्तरदाताओं को नियमित पेंशन प्राप्त होने संबंधी विवरण

क्रमांक	नियमितप्राप्तहोना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	166	66.4
2.	नहीं	84	33.6
	योग	250	100

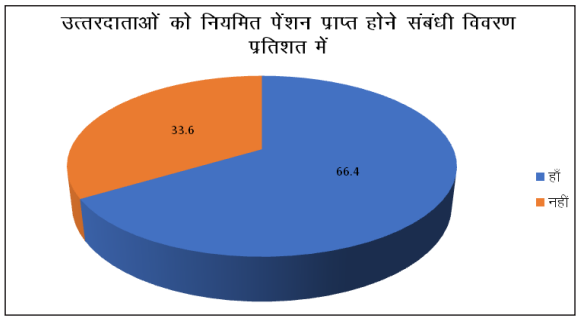

चित्र 5

उपरोक्त तालिका 5, से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में 66.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें नियमितपेंषन की राशि प्राप्ति होती है जबकि 33.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में जवाब दिये हैं। इन उत्तरदाताओं का कहना है कि हम स्वास्थ्य गत परेशानी के कारण पेंशन के लिये बैंक नहीं जा पाते कई बार दूसरे किसी परिचित या मध्यस्तथा के रूप में जिन्हें लेकर बैंक जाते है। यदि वे उपलब्ध नहीं हे तब भी इस कारण हमें नियमित पेंशन की प्राप्ति नहीं होपा ती।

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202202

तालिका 6.उत्तरदाताओं को प्राप्त पेंशन पर्याप्त होने संबंधी जान कारी

क्रमांक	पर्याप्तहोना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	47	18.8
2.	नहीं	144	57.6
3.	कुछहदतक	59	23.6
	योग	250	100

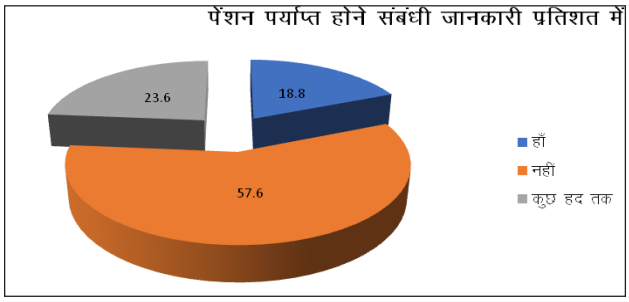

चित्र 6

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 05 से यह पाप्त होता है। कि उत्तर दाताओ को प्राप्त पेंशन क्या उनके जीवन यापन के लिये पर्याप्त होने संबंधी जानकारी में 18.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हींहाँ मेंजवाबदियेहैजबकि 57.6 प्रतिषतउत्तरदाताओं ने नहीं में उत्तर दिये हैं। इनका कहना है कि वर्तमान में मंहगाई बहुत अधिक बढ़ चुकी है जिसके कारण आर्थिक समस्याऐं उत्पन्न होती है। खाध पदार्थ, स्वास्थ्य संबंधी मे डिकल खर्चे, एवं दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के कारण प्राप्त पेंशन पर्याप्त नहीं हो पाता है। 23.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ हद तक ही पर्याप्त होने की बात कहीं अर्थात कुल 81.2 प्रतिशत उत्तर दाताओं को प्राप्त पेंशन पर्याप्त नहीं होपाती है।

तालिका 7.पेंशन की राशि में वृद्धि होने संबंधी विवरण

क्रमांक	पर्याप्तहोना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	189	85.6
2.	नहीं	51	14.4
	योग	250	100

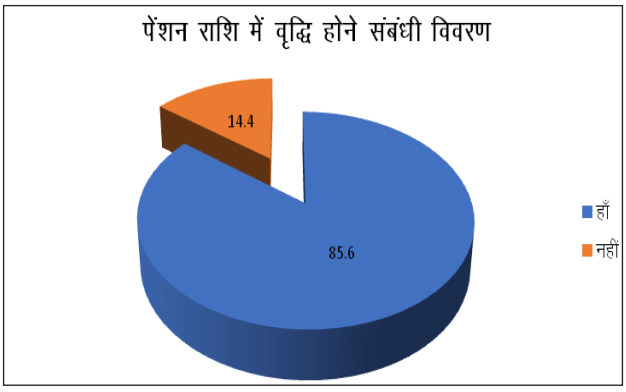

चित्र 7

प्रस्तुत तालिका 7, से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में 85.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वृद्धा पेंशन की राशि में वृद्धि होने की बात कहीं। इनका कहना है कि अगर राशि में वृद्धि होती है तो हमारी अनेक समस्याऐं अपने आप कम होजायेगी हमारा जीवन स्तर पहले से बेहतर होजायेगा साथ ही कुछ पैसे हमारे पास बचत के रूप में रहेगी जिससे हमारे अचानक दूसरे से उधारलेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 14.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि प्राप्त पेंशन राशि में हम वृद्धि करने के बारे में नहीं सोचते इन्हें भय है। कि अगर वृद्धि के लिये कहें तो सरकार बंद न कर दे। इनका कहना है। कि वृद्धा अवस्था में पारिवारिक सदस्यों से अलग होना, अर्थ का दूसरा स्रोत न होना, अधिक आयु के कारण आयु के लिये कार्य न करपाना इत्यादि ऐसे कारण हैं जिससे वृद्धा पेंशन हमें जीवन जीने हेत मददगार साबित हुआ है। इस स्थिति में सरकार जो हमें सहायता प्रदान कर रही है हमेशा करती रहे यही हमारे लिये पर्याप्त है।

तालिका 8.उत्तर दाताओं को पेंशन प्राप्त करने में समस्या आने संबंधी जानकारी

क्रमांक	पर्याप्तहोना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	61	24.4
2.	नहीं	50	60.0
3.	कभी–कभी	39	15.6
	योग	250	100

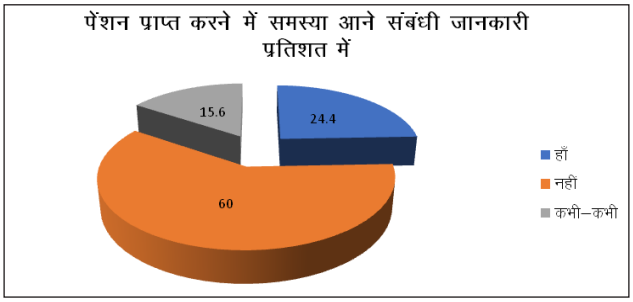

चित्र 8

उपरोक्त तालिका 8, से उत्तर दाताओं को पेंशन प्राप्त करने में समस्या आने संबंधी विवरण से यह स्पश्ट होता है। कि कुल उत्तरदाताओं में 24.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने समस्या आने की बात कहीं। शासन की योजना के अनुसार पेंशन, पेंशन धारी के खाते में ही सीधे पहुँच जाती है परंतु कुछ उत्तरदाताएं अधिक आयु के कारणजाकर पेंशन निकाल ने में असमर्थ हो जाते है। या कभी कुछ स्वास्थ्यगत परेशानी के कारण उन्हेंअन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है जो एक बड़ी समस्या है। 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में एवं 15.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी–कभी समस्याआने की जानकारियाँ दी है।

सरकार को चाहिए की जिनकी आयु अधिक है या जिन्हें स्वास्थ्यगत समस्या है उन्हें उनके निवास स्थान में पेशन राशि पहुंचाये जाने हे तु कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे पेंशन आसानी से उन्हें मिल सके।

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202202

तालिका 9.उत्तरदाताओं का पेंशन पर एकाधिकार होने संबंधी जानकारी

क्रमांक	पर्याप्तहोना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	169	67.6
2.	नहीं	81	32.4
	योग	250	100

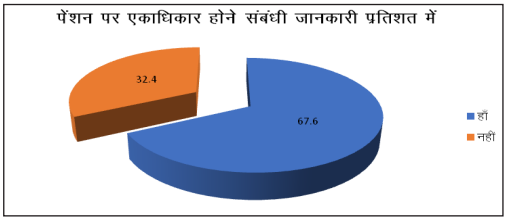

चित्र 9

प्रस्तुत तालिका 9, से पाप्त होता है कि 67.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राप्त पेंशन पर एकाधिकार होने की बात कही जबकि 32.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि पेंशन तो पूरा अपने खाते में आता है परंतु जब हम स्वयं कभी–कभी नहीं जा पाते तब हमें कोई भी दूसरा व्यक्ति आस–पास रहने वाला सहयोगी समय निकाल कर बैंक ले जाता है तब हमें अपने पेंशन से कुछ राशि उसे देनी पड़ती है। जिस कारण पेंशन पर एकाधिकार होने के पश्चात भी पूरा हमें नहीं मिल पाता। कभी–कभी कोई रिष्ते दार भी पैसे मांगकर ले जाता है जिसका हम विरोध नहीं कर पाते।

तालिका 10.पेंशन से संबंधित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होने संबंधी विवरण

क्रमांक	सुरक्षा प्राप्तहोना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ (सामान्य)	89	35.6
2.	कुछहदतक	41	16.4
3.	बहुतअधिक	120	48.0
	योग	250	100

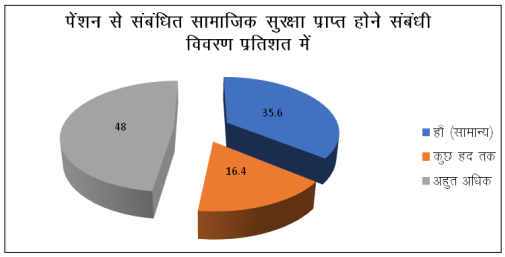

चित्र 10

तालिका 10, में उत्तर दाताओं को प्राप्त वृद्धा पेंशन से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होने संबंधी विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तर दाताओं में 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने आपको बहुत अधिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होने की बात कही इन का मानना है कि वृद्धावस्था में आर्थिक सहयोग समाज में सुरक्षा प्रदान करने के साथ हमें आत्मनिर्भर बनाता है। अर्थ के अभाव में व्यक्ति असहाय वअ सुरक्षित हो जाता है। वृद्धा पेंशन से हम पारिवारिक सदस्यों पर या समाज पर बोझ नहीं बने। अपनी छोटी–छोटी आवष्यकताओं की पूर्ति के लिये आत्म निर्भर हो गये। 35.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामान्य सुरक्षा की बात कहीं जबकि 35.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ हद तक सुरक्षा प्राप्त होने की बात कही।

निश्कर्ष

उपरोक्त वर्णन से यह स्पश्टहोताहैकिसरकार द्वारा वृद्धों के लिये आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संचालित वृद्धा पेंशन निश्चित ही वृद्धों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं जिससे वृद्ध ावस्था में जीवन निर्वहनकरने, आत्मनिर्भर बनाने आत्मसम्मान में वृद्धि के साथ–साथ संरक्षण से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समाज का एक ऐसा वर्ग जो अनुभव एवं समाज के आधारशिला रहे वृद्धों को सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से जीवन के प्रति नई आस एवं उनके अंदर नयी ऊर्जा का संचार भी कर रहा है। परंतु अभी भी इस योजना से प्राप्त होने वाली राशि पेंशन प्राप्त होने में समस्या एवं पेंशन स्वयं हित ग्राही को प्राप्त हो इसके लिये सरकार की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने की आवष्यकता है जिससे वृद्धों को पूरी तरह वृद्धा पेंशन प्राप्त हो सके।

सुझाव

1. वृद्धा पेंशन की राशि में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे वृद्धों को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।
2. पेंशन प्राप्त करने हेतु कुछ ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे वृद्धों को पेंशन लेने बैंक तक जाने के लिये दूसरों पर आश्रित न होना पडे।
3. निःशुल्कस्वास्थ्य सुविधाएंउपलब्ध हो।
4. दैनिक जीवन की वस्तुओंकोसस्तेकीमतोंपर वृद्धोंकोउपलब्ध कराना।
5. पेंषन घरपहुंचसेवा के रूपमेंउपलब्ध होजिससेअधिकआयु के वृद्ध एवंस्वास्थ्यगतसमस्याओं से ग्रसित वृद्धोंकोलाभ मिल सके।
6. सामाजिक सुरक्षा के रूप में ऐसी समितियों का गठनकियाजायेजो यह अवलोकनकरसकेंकिपेंषन की राषि का पूरीतरह वृद्ध उपयोगकररहेहैं या कोईपारिवारिकसदस्य या अन्य कोईसदस्य वृद्धोंपरदबावडालकरपेंषन की कुछराषिलेतोनहींरहा।

त्मिमितमदबम

1. छत्तीसगढ़ अधिकारिक वेबसाइटीजजचेरूध्ध्ूॅण्बण्हण्हवअजण्पद
2. प्रषासकीय प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग, वर्ष 2021–22
3. प्रषासकीय प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग, वर्ष 2020–21
4. मिश्राजे.पी. एवंगुप्ता के.एल. (2018) अर्थषास्त्र, साहित्य भवन पॅब्लिकेषन, आगरा, पृ. क्र. 33 से 49
5. सिन्हा, वी.सी. (2018) आर्थिक विकास जनसंख्या एवं संस्थाएं, एस, बी.पी.डी. पॅब्लिसिंग हाउस आगरा, पृ.क्र. 1–12.
6. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाषित, विधि औरविधायीकार्यविभाग, 26 सितम्बर 2008, पृ.क्र. 1–8
7. पंडा, तपन कुमार (2014), ग्रामीण भारत की चुनौतियाँ, मार्क पब्लिसर्स, दिल्ली, पृ.क. 25–35.

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202202